Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SUNDAY, SEPTEMBER 8, 2013
(BHADRA 17, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 8th September, 2013

No. 23—HLA of 2013/66.—The Haryana Town Improvement (Amendment and Validation) Bill, 2013 , is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 23—HLA of 2013

THE HARYANA TOWN IMPROVEMENT (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Haryana Town Improvement Act, 2008.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows: —

1. This Act may be called the Haryana Town Improvement (Amendment and Validation) Act, 2013. Short title.

2. In sub-section (2) of section 105 of the Haryana Town Improvement Act, 2008,— Amendment of section 105 of Haryana Act 36 of 2008.

(i) in clause (d), for the sign ".", existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) after clause (d), the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided that where a trust has been dissolved under sub-section (1) within the territorial jurisdiction of a municipality and the properties, funds and dues have vested in the Government, it may transfer the property, funds and dues of the dissolved trust to the municipality which shall also bear all the legal liabilities of the trust subsisting at the date of its dissolution and further the employees of such trusts whose properties, funds and dues have been transferred to the municipality, after dissolution, shall be transferred to other trusts on any post carrying same scale of pay.".

Validation.

3. Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 105 of the Haryana Town Improvement Act, 2008, the authorities specified to realize all properties, funds and dues, to enforce liabilities and to complete sanctioned schemes of the dissolved Improvement Trust as mentioned in the Schedule of the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, Notification No. 1/76/2009-1CII, dated the 11th June, 2010 in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-sections (2) and (3) of section 105 of the Haryana Town Improvement Act, 2008, shall be deemed to have been validly specified notwithstandng notification under sub-section (1) of Section 105 having not been issued, and the trusts shall be deemed to have been validly dissloved under sub-section (1) of section 105 and in accordance with the provisions of the said Act and accordingly all acts, proceedings or things done or actions taken or which may be done or taken by the said authorities and by the State Government for the whole of the State of Haryana shall, for all purposes, be deemed to be, and to have always been done and taken in accordance with law and shall not be called in question before any court of law on this ground.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is felt necessary to enable the Government to merge the Improvement Trusts in concerned municipalities for rapid, integrated and systematic development of cities.

Amendment in Section 105 of the Haryana Town Improvement Act, 2008 is, therefore, required to provide for vesting properties, funds and dues of dissolved Improvement Trusts in the concerned municipalities for better planning and development of the cities. It is also proposed to validate the action taken by the Government for dissolving the Trusts and appointment of authorities, issued vide notification dated 11.06.2010.

Hence the Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 8th September, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 23-एच०एल०ए०

हरियाणा नगर सुधार (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013

हरियाणा नगर सुधार अधिनियम, 2008, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर सुधार (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है।

2008 के हरियाणा अधिनियम 36 की धारा 105 का संशोधन।

2. हरियाणा नगर सुधार अधिनियम, 2008 की धारा 105 की उप-धारा (2) में :-

"(i) खण्ड (घ) में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) खण्ड (घ) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :

"परन्तु जहां किसी नगरपालिका की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उप-धारा (1) के अधीन कोई न्यास विघटित किया गया है, तथा सम्पत्तियां, निधियां तथा प्राप्तियां सरकार में निहित हैं, तो यह विघटित न्यास की सम्पत्ति, निधियां तथा प्राप्तियां नगरपालिका में अन्तरित कर सकती है जो इसके विघटन की तिथि को अस्तित्वशील न्यास के सभी विधिक दायित्वों का भी वहन करेगी तथा आगे ऐसे न्यासों के कर्मचारी जिनकी सम्पत्तियां, निधियां तथा प्राप्तियां नगरपालिका में अन्तरित की गई हैं, विघटन के बाद, समान वेतनमान वाले किसी पद पर अन्य न्यासों को अन्तरित किए जाएंगे।"।

विधिमान्यकरण।

3. हरियाणा नगर सुधार अधिनियम, 2008 की धारा 105 की उप-धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सभी सम्पत्तियों, निधियों तथा प्राप्तियों की वसूली के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के दायित्वों को लागू करने के लिए तथा हरियाणा नगर सुधार अधिनियम, 2008 की धारा 105 की उप-धारा (2) तथा (3) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 1/76/2009-1सी II, दिनांक 11 जून, 2010 की अनुसूची में यथा वर्णित विघटित सुधार न्यास की स्वीकृत स्कीमों को पूरा करने के लिए धारा 105 की उप-धारा (1) के अधीन जारी नहीं की गई अधिसूचना के होते हुए भी विनिर्दिष्ट विधिमान्यता की गई समझी जाएगी तथा न्यास धारा 105 की उप धारा (1) के अधीन तथा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विधिमान्यता विघटित किए गए समझे जाएंगे तथा तदनुसार, किए गए सभी कार्य, कार्यवाहियां या बातें या की गई कार्रवाइयां या जो सभी प्रयोजनों के लिए, सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए उक्त प्राधिकारियों द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसार किए गए या की गई, तथा सदैव किए गए तथा की गई समझी जाएंगी तथा इस आधार पर किसी विधि न्यायालय के सम्मुख प्रश्नगत नहीं की जाएंगी।

उददेश्यों तथा कारणों का विवरण

शहरों के तीव्र समग्र विकास एवं योजनाबद्ध विकास के लिए सम्बन्धित पालिकाओं में नगर सुधार मण्डलों का विलय किया जाना आवश्यक है।

शहरों में अच्छी योजना तथा विकास करने के लिए हरियाणा नगर सुधार अधिनियम, 2008 की धारा 105 में नगर सुधार मण्डलों को भंग करने और उनकी जायदाद फण्ड और देनदारियां पालिकाओं को उपलब्ध करवाने के लिए तथा सरकार द्वारा राज्य के नगर सुधार मण्डलों को 11.06.2010 की अधिसूचना द्वारा भंग किये जाने को विधिमान्य स्वरूप देने के लिये संशोधन किया जाना आवश्यक है ।

अतः विधेयक।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 8 सितम्बर, 2013

सुमित कुमार,
सचिव।

51487 -H.V.S.—H.G.P., Chd.